

मुंबई

26/2011

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	16/5/23	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण/ 852102 पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु सलामी/ जमान दिनांक 4/10/23 को पेश हो।
	4/8/23	पत्रावली पेश हुई। 99/1098/35 पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु सलामी/ जमान दिनांक 26/10/23 को पेश हो।
	26/10/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता सचिवालय पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु सलामी/ जमान दिनांक 7/3/24
	7/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उमम सह उमम पत्रावली कलम कुरैजात लिपोरि हेतु दिनांक 12/3/24 को पेश हो।
	12/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उमम सह उमम वकील उमम पत्रावली कलम कुरैजात कुरैजात पर उनी गतिवला वकील उमम पत्रावली को लमसाईश की गई। वकील उमम पत्रावली के कुरैजात के स्वीकार करने के अपनी-अपनी महामति पत्रावली की। पत्रावली की महामति के किन्तु उमम वकील उमम पत्रावली की कलम कुरैजात किन्तु उमम अति: वादीया को वड अनुराग धार 53, 188 आर. गी. मरु

Rajendra Kumar
12/3/24

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

क्र.सं.
दिनांक

फर्द अहकाम

शकुन्तलु यनाम

मउखान १११०

उपाखण्ड अधिकारी

जमवारामगढ़

216/2011

विशेष विवरण

नाम आशा या कार्यवाही

आशा विस्तृत रूप से

को आश्रित रूप से स्वीकार कर
 मुनाबिक कुरैजाह आशाएँ तकासमा
 हेतु निर्णय किया जाता है।
 निर्णय प्रथम से लिया जाकर
 शाहिल निगल किया गया।
 निर्णय आज ही इजलास 13 न्याय
 गया।
 पत्रावली केवल शुभारंभ के
 गश्क से कम है तब वरु शी
 हेकर शाहिल इतर के



उप खण्ड अधिकारी
 जमवारामगढ़



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
16/2011

तारीख दायर
17/11/2011

तारीख फैसला
12/03/2024

1. शकुन्तला बंगालिया पत्नि गंगाराम बंगालिया उम्र 42 वर्ष जाति बलाई निवासी
पापड, तहसील जमवारामगढ़ जयपुर। वादीया

बनाम

1. भगवान पुत्र बद्री
2. कानाराम पुत्र बद्री
3. प्रभाती बेवा बद्री
4. लखमा पुत्र कालू
5. जातियान बलाई निवासी ग्राम पापड तहसील जमवारामगढ़ जयपुर।
6. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ़ तहसील जमवारामगढ़, जयपुर।
7. उप पंजीयक महोदय, पंजियन कार्यालय जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

- श्री महेश शर्मा :- वकील वादीया
श्री राजेश कुमार पारीक :- प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 188 आर0टी0एक्ट

-: निर्णय :-

वादीया की ओर से एड0 श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अधिनियम के साथ पेश किया कि ग्राम पापड तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में कृषि मि खसरा नम्बर 333/5 रकबा 4 बीघा स्थित है। जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं0 ता 2 की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात इस वाद में आगे वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है जो कि मुतदावियां आराजीयात को मि तक रिकार्डेड विधिक बंटवारा नही हुआ है। एवं आराजीयात राजस्व रिकार्ड में युक्त रूप से सहखातेदारी एवं सहकृषक ही स्थित है। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 14.05.2017 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट र बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई तथा समझाई की गई। वकील उभय पक्षों का कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पापड, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजीयात का

22

नकासमा किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के नेम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार

कुतला पत्नि गंगाराम हि0 1/2 राहिन एसबीबीजे शाखा जमवारामगढ, काना पि0 बट्टी, प्रभाती वा बट्टी हि0 1/3 बिला रहन, भगवान पि0 बट्टी हि0 1/6 राहिन एसबीआई शाखा नायला खसरा नम्बर 333/5 रकबा 4 बीघा बा03 लगान 1.88 दर्ज रिकार्ड है। जिसके हाल खसरा नम्बर 01 रकबा 1.01 है0 है।


—: प्रस्तावित :-

प्रस्तावित

शकुतला पत्नि गंगाराम जाति बलाई राहिन एसबीबीजे जमवारामगढ खसरा नम्बर 401/1 रकबा 0.5050
काना पुत्र बट्टी, प्रभाती बेवा बट्टी हि0 2/3 बिला रहन, भगवान पुत्र बट्टी हि0 1/3 राहिन एसबीआई शाखा नायला खसरा नम्बर 401 रकबा 0.5050 है0

त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही गण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं दीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा माणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

र्णय आज दिनांक 12/03/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया


उप-सहायक अधिकारी
जमवारामगढ

शुद्धी मुकदमा इबतार्ई

(रूल्स 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

शंकुतला

बनाम

भगवान बगै०

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटवारा एवं रथाई निवेधाज्ञा रा०टी०एक्ट

मुकदमा नम्बर - 216/2011

इह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित गीना बहाजिरी श्री महेश शर्मा वादीगण व श्री जेश कुमार पारीक प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीया का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पापड तहरील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक टवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उरी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

-: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार
शंकुतला पत्नि गंगाराम हि० 1/2 राहिन एसबीबीजे शाखा जमवारामगढ, काना पि० बट्टी, प्रभाती बेवा बट्टी हि० 1/3 बिला रहन, भगवान पि० बट्टी हि० 1/6 राहिन एसबीआई शाखा नायला खसरा नम्बर 333/5 रकबा 4 बीघा बा०3 लगान 1.88 दर्ज रिकार्ड है। जिसके हाल खसरा नम्बर 401 रकबा 1.01 है० है।

-: प्रस्तावित :-

प्रस्तावित
शंकुतला पत्नि गंगाराम जाति बलाई राहिन एसबीबीजे जमवारामगढ खसरा नम्बर 401/1 रकबा 0.5050
काना पुत्र बट्टी, प्रभाती बेवा बट्टी हि० 2/3 बिला रहन, भगवान पुत्र बट्टी हि० 1/3 राहिन एसबीआई शाखा नायला खसरा नम्बर 401 रकबा 0.5050 है०

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्चू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही दीगण एवं प्रतिवादीगण को हुकम इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/03/2024 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
स्टाम्प वकालतनामा			मुदालयह		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वकालतनामा		
महन्तानावकील			स्टाम्प वजूह सबुत		
घा गवाहान			महन्तानावकील		
तहजराय			खर्चा गवाहान		
मनामा			बबत्हजराय		
			हुक्मनामा		
			मुत०		
			मिलान		

उप खण्ड अधिकारी